सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 03/2014

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नून्द्री मेन्द्रातान

1. श्री सुखदेव सिंह आयु 23 साल पुत्र श्री शंकरसिंह पुत्र श्री माधू
2. श्री हनुमानसिंह आयु 16 साल पुत्र श्री शंकरसिंह पुत्र श्री माधू नाबालिग जरिये नेक्सट फ्रेण्ड माता श्रीमती सोहनी पत्नि श्री शंकरसिंह।

समस्त जाति रावतान निवासियान नून्द्री मेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....अपीलार्थीगण

ब ना म

1. श्रीमान् ग्राम पंचायत नून्द्री मेन्द्रातान, पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर (राज.) जरिये सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत नून्द्री मेन्द्रातान, पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू धारक तहसील कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर
3. श्रीमती सीता पत्नि श्री मानसिंह पुत्री श्री माधूजी जाति रावत निवासी मिलगेट नून्द्री रोड़ ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
4. श्री शंकरसिंह आयु 44 वर्ष पुत्र श्री माधू जी रावत निवासी नून्द्रीरोड़ ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....प्रत्यर्थीगण

अपील का ज्ञापन अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश/निर्णय/कार्यवाही ग्राम पंचायत नून्द्री मेन्द्रातान तहसील ब्यावर के द्वारा ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान में स्थित भूमि खसरा संख्या 636, 753, 755, 779, 780, 781, 799 व 590 में से 1/2 हिस्से के संबंध में नामान्तरण प्रविष्टी संख्या 1999 दिनांकित 10.04.2014 को प्रविष्टी संख्या 2 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

निर्णय

दिनांक :

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट नून्द्रीमेन्द्रातान में पेश हुई। अपीलार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अपीलार्थीगण ने अपील में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा नून्द्री मेन्द्रातान पटवार हल्का नून्द्री मेन्द्रातान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के (क) खसरा संख्या 636 रकबा 02–18–00, 753 रकबा 01–02–00, 755 रकबा 01–05–00, 779 रकबा 00–05–00, 780 रकबा 00–15–00, 781 रकबा 01–04–00 799 रकबा 01–07–00 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 08–16–00 तथा (ख) खसरा संख्या 590 रकबा 02–15–10 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 02–15–10 है उक्त आराजियात राजस्व अभिलेखों में मूलतः अपीलान्टस के दादा एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पिता श्री माधु पुत्र कालू जी के नाम बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही थी उक्त आराजी कृषि भूमि बात् दिनांक 29.10.1999 को श्री माधू जी ने रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्टस के हक में विधिवत निष्पादित करवा अपीलान्टस की माता श्रीमती सोहनी देवी को सम्भला दी थी। इस प्रकार उक्त आराजी कृषि बाबत श्री माधु जी ने उक्त सम्पूर्ण आराजी कृषि भूमि में अपने हक व हित बाबत् अपीलान्टस के हक में वसीयत निष्पादित करवा अपीलान्टस की माता को सौंप दी थी व माधुजी की मृत्यु दिनांक 02.04.2001 को हो चुकी थी। श्री माधूजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि की खातेदारी हेतु राजस्व वाद न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत हुआ जो कि बाद सुनवाई के दिनांक 24.03.2014 फरमा दिया था एवं साथ ही प्रत्यर्थी नं.3 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम वादग्रस्त भूमि के हिस्से बाबत् को, भी खारिज फरमा दिया। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष कर दी है जिसकी जानकारी प्रत्यर्थीगण को अपीलान्टस ने जरिये विधिक सूचना पत्र दिनांकित 31.03.2014 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र के कर दी थी। इस प्रकार उक्त वाद –ग्रस्त आराजी बाबत् नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करने की एवं आपत्ति दर्ज करवाते हुए उक्त भूमियों के संबंध में राजस्व रेकार्ड को यथावत कायम रखे

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

जाने तथा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत् सूचित कर दिया था, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा, प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 से मिलीभगती कर तथाकथित नामान्तरकरण स्वीकार करवाते हुए उक्त आराजी कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी सं. 3 व 4 के हक में अंकित करवा लियाहै जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत् अपील न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष अपील विचाराधीन है एवं अपील समयावधि के मध्य अन्तराल में ही राजस्व कानून का उल्लंघन करते हुए, हल्का पटवारी व प्रत्यर्थी सं. 2 से मिलीभगती कर प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के इशारे पर उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का आलौच्य नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के हक में खोला है जो कत्तई गलत व गैरकानूनी एवं विधिविरूद्ध नामान्तरकरण है, जो प्रारंभिक तौर पर ही निरस्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी सं. 1 ने दिनांक 10.04.2014 को बिना ग्राम पंचायत के कोरम के ही उक्त नामान्तरकरण सवीकार किया है जबकि नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के समय ग्राम पंचायत का कोरम पूर्ण होना चाहिये एवं उक्त कोरम हेतु हर माह की दिनांक 05 को व दिनांक 20 को ग्राम पंचायत की बैठक होती हैं और उक्त बैठक में समस्त पक्षकारान को बुलाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है जबकि अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत से नहीं बुलाया एवं अपीलान्ट के द्वारा सूचना पत्र प्रेषित करने के पश्चात् भी अपीलान्टस की आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया और आनन फानन में उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के इशारे पर उक्त आलौच्य नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के हक में खोला गया जो कि विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी नामान्तरकरण हैं, जो कि निरस्त होने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा मिली भगती कर कूटरचित सजरा अपने परिवारजन के सदस्यों का करवा वार्ड पंच (वार्ड संख्या 15) जगदीश के हस्ताक्षर करवाकर परिवार का सिजरा नाजायज लाभ प्राप्त कर, अन्यत्र बेचान करने की नियत से तस्दीकर करवाते हुए पेश कर दिया जबकि ना तो अपीलान्ट वार्ड नं. 15 के निवासी है तथा ना ही उक्त जमीनें वार्ड नं. 15 में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 4 के हक में कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट ब्यावर के पत्र क्रमांक/न्याय/13/4337 दिनांक 15.07.2013 को निलामी स्वीकृति बाबत् अन्तर्गत धारा 145 जा0 फौ0 में रिसवरी नियुक्त कर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 4 के हक में निलाम किया गया एवं उक्त निलामी राशि 30000/–रूपये प्रत्यर्थी संख्या 4 से प्रापत कर उक्त वादग्रसत आराजियात का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 4 को संभला दिया व उक्त वादग्रस्त आराजियात का कब्जा आज दिनांक तक प्रत्यर्थी संख्या 4 का चला आ रहा है। इसके बावजूद भी बिना भौतिक कब्जा के प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसके अधिनस्थ कर्मचारी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 से मिलीभगती कर उक्त वादग्रस्त आराजियात का आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के आदेश पारित फरमाये जो कि निरस्त होने योग्य है।

अतः न्यायिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपरोक्त नामान्तरण सहित अपीलार्थीगण के नामान्रण आवेदन पत्र सहित पत्रावली तलब की जावे। अपील अपीलार्थी सव्यय स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किये गए उक्त नामान्तरण प्रविष्टी संख्या 1999 दिनांक 10.04.2014 को अपास्त किया जावे एवं अन्य कोई भी अनुतोष जो प्रकरण एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं मुफीद अपीलार्थीगण हो दिलाये जाने का निवेदन किया।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थीगण को जरिए नोटिस सूचित किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 के नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये एवं ना ही किसी प्रकार के कोई मौखिक कथन किए।

.....लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

बहस अपीलार्थी संख्या 1 की सुनी गई जिन्होंने नामान्तरकरण खारिज किये जाने के कथन किये। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि नामान्तरकरण परत संख्या 1999 में ग्राम नून्द्रीमेन्द्रातान की जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 114 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 08–16–00 में जरिए वसरासती नामान्तकरण माध पि. कालू कोम रावत शेष इन्द्राज बदस्तूर के स्थान पर शंकर वल्द माधू सीता पुत्री माधू कोम रावत शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तूर होना दर्ज है एवं इसी नामान्तरकरण परत में खाता संख्या 489 खसरा संख्या 590 कुल कित्ता 02–15–10 माधू पि. कालू कौम रावत 1/2 हि. शेष इन्द्राज बदस्तूर के स्थान पर जरिए विरासत शंकरसिंह वल्द माधू सीता पुत्री माधू शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तूर होना दर्ज है तथा इसी नामान्तरकरण परत की पुश्त पर माधू वल्द कालू का पारिवारिक सजरा अंकित है। प्रकरण में उपजिला मजिस्ट्रेट ब्यावर द्वारा जारी पत्र क्रमांक न्याय/13/4337 दिनांक 15.07.2013 की छाया प्रति है जो तहसीलदार ब्यावर को रिसीवरी के संबंध में जारी किया गया है जो **वर्ष 2013 का दस्तावेज है जिसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।** न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 20/2010 उनवान श्री सुखदेवसिंह व अन्य बनाम श्रीमती सीता व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 24.03.2014 की छाया प्रति है जिसमें वादीगण का वाद खारिज़ किया गया है तथा उक्त वाद के प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भी खारिज़ किया गया है। श्री माधू रावत वल्द श्री कालूली द्वारा श्री सुखदेव सिंह उम्र 6 साल तथा श्री हनुमानसिंह उम्र 1 साल पिसरान शंकर के पक्ष में दिनांक 29–10–1999 को तहरीर किया गया वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की है **जिसमें अंकित खसरा इस अपील में अंकित खसरान् से अलग है।**

उक्त विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1999 की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.04.2014 को प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा स्वीकृत है जो विधिक नियमों के अनुसार ही की गई है एवं नामान्तरकरण की प्रक्रिया में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा उक्त प्रस्तुत प्रकरण धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के परव्यूव में नहीं आता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्धारा कैम्प कोर्ट नून्द्री मेन्द्रातान में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुखवीर खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर